

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>माधो सिंह बनाम</b>  <b>लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी)</b>  सू.अ.अपील संख्या 62/2023</p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>08-04-24</p>	<p>अपीलार्थी माधो सिंह राठौड़ पुत्र भीम सिंह राठौड़ निवासी 12, ठाकुर भीम सिंह जी का रावला, चौड़ा ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16/11/23 में गांव पाबू नगर पंचायत चौड़ा तहसील पीपाड़ के खसरा नं. 114 का मोहन कंवर के नाम से भरा गया म्यूटेशन से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपीलार्थी सूचना की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	